उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 14 16-31 जुलाई 2025 ₹ 20/-

मालेगांव और मुंबई बम धमाकों के अदालती फैसलों पर उर्दू प्रेस की विपरीत प्रतिक्रिया

- एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से मचा बवाल
- बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरफ्तार
- चार देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा
- अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मालेगांव धमाका मुकदमे में अदालती फैसले पर उर्दू मीडिया में सवाल 04
मुंबई ट्रेन बम धमाके के सभी आरोपी बरी होने से मुस्लिम नेता खुश 10
संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात 14
एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से मचा बवाल 16
भारत द्वारा मालदीव को पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज 20
अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारी 21

विश्व

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरफ्तार 22
उज्बेकिस्तान में इस्लामी खिलाफत की स्थापना की साजिश 24
बीएलए का पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अभियान 25
अफगानिस्तान में बुर्का न पहनने पर 20 महिलाएं गिरफ्तार 26
ब्रिटेन सरकार द्वारा अफगानों के पुनर्वास की योजना रद्द 26
कांगो में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा गिरजाघर पर हमला 27

पश्चिम एशिया

चार देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा 28
ईरान में अदालत पर आतंकवादी हमला 30
सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्धविराम की घोषणा 31
सऊदी अरब द्वारा सीरिया में पूंजी निवेश 33
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या की साजिश 33

सारांश

मालेगांव और मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों से संबंधित मुकदमे का फैसला आते ही देश में नई बहस छिड़ गई है। इन दोनों मामलों में उर्दू मीडिया का रुख अलग-अलग है। उर्दू अखबारों ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के आरोपियों के बरी किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा है कि सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में क्यों चुनौती दी है? दूसरी ओर, इन उर्दू अखबारों ने मालेगांव बम धमाका मुकदमे में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। उर्दू अखबारों ने शिकायत की है कि इस धमाके के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। इन दोनों मामलों में मुस्लिम संगठनों, कांग्रेस और अन्य सेक्युलर दलों की भी प्रतिक्रिया अलग-अलग है। शायद इसका कारण यह है कि एक बम धमाके के आरोपियों का संबंध मुस्लिम संप्रदाय से है। जबकि दूसरे बम धमाके के आरोपी गैर-मुस्लिम हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि उर्दू मीडिया द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केंद्र सरकार के इशारे पर मालेगांव बम धमाके के आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाया है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा और संघ परिवार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में 'भगवा आतंकवाद' का शोशा छोड़ा गया था। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस संदर्भ में कई पुस्तकों का विमोचन भी किया था। इसका लक्ष्य देशवासियों की नजर में संघ परिवार की छवि धूमिल करना था। महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि 'भगवा आतंकवाद' को स्थापित करने के लिए एटीएस के उच्चाधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। मुजावर ने कहा कि मुझे पता था कि कोई 'भगवा आतंकवाद' नहीं है, इसलिए मैंने अपने उच्चाधिकारियों की बात नहीं मानी।

भारतीय इतिहास के कटु तथ्यों को उजागर करने से कुछ वर्गों को बेहद परेशानी होती है, क्योंकि ये लोगों को थोथे सेक्युलरवाद के मकड़जाल में फंसाकर विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए धार्मिक उत्पीड़न पर पर्दा डालना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में उल्लेख किया है कि बाबर, अकबर और औरंगजेब ने सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया था और उनके उपासना स्थलों को ध्वस्त किया था। इसके अतिरिक्त मुगल बादशाह अकबर ने चितौड़गढ़ किले की घेराबंदी के दौरान 30 हजार निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। ये कुछ कटु ऐतिहासिक तथ्य हैं, जिनसे इंकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस समेत तमाम सेक्युलर पार्टियों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में इन तथ्यों का उल्लेख किए जाने से भारी परेशानी हो रही है और वे एनसीईआरटी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और माल्टा जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की इस घोषणा से अमेरिका और इजरायल को गहरा झटका लगा है। सबसे अजीब बात यह है कि इस्लामिक देश गाजा और फिलिस्तीन की समस्या पर घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने की बात नहीं की। इससे साफ है कि मुस्लिम जगत की कथनी और करनी में भारी अंतर है।

मालेगांव धमाका मुकदमे में अदालती फैसले पर उर्दू मीडिया में सवाल

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित मालेगांव बम धमाका मुकदमे से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया है। उर्दू मीडिया और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाया है। मालेगांव बम धमाके की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी उन पर दबाव डाल रहे थे कि वे मालेगांव धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, नरेन्द्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी नाम लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया था। इस पर उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था।

इंकलाब (1 अगस्त) के अनुसार एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एके लाहोटी ने मालेगांव बम धमाके से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से इस धमाके में प्रभावित हुए लोगों को भारी निराशा हुई है। अदालत ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की ही थी। यही नहीं, अदालत ने इस धमाके के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित द्वारा जम्मू-कश्मीर से आरडीएक्स लाने की थ्योरी को भी खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र जमीयत उलेमा ने इस फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इस धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का संकेत दिया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडेय, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को बरी करने की घोषणा की है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि "आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और न ही नैतिकता व जनता के दबाव पर ही कोई फैसला

सुनाया जा सकता है।" अदालत ने यह भी कहा है कि इस मुकदमे की जांच करने वाली पहली एजेंसी महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और वर्तमान एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच में भारी अंतर है।

अदालत ने कहा कि मालेगांव बम धमाके की घटना बेहद चिंताजनक है, लेकिन इस मामले में दोनों एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी उसमें कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था। इससे न तो आरोपियों के धमाके की साजिश में शामिल होने का पता चलता है और न ही इस धमाके में उनके लिप्त होने के कोई ठोस सबूत मिले हैं। अदालत ने आरोपियों के 'अभिनव भारत' नामक संगठन से जुड़े होने के तर्क को तो मान लिया, लेकिन जांच एजेंसियों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि आरोपियों ने इस धमाके के लिए अभिनव भारत के फंड का इस्तेमाल किया था। अदालत ने यह भी कहा कि यूएपीए की धाराएं इस मुकदमे पर लागू नहीं होतीं। अदालत ने कर्नल पुरोहित द्वारा कश्मीर से आरडीएक्स लाने के आरोप को भी खारिज कर दिया। अदालत ने मालेगांव बम धमाके में मरने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अदालत के इस फैसले के बाद मालेगांव के मुस्लिम बहुल इलाकों में सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर गुप्तचरों को भी तैनात किया गया है। मालेगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू ने कहा कि जुमा का दिन होने के कारण इस इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जमीयत उलेमा के स्थानीय कार्यालय पर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस धमाके के पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि

आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत थे, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यह समझ से परे है। मालेगांव के एक मुस्लिम नेता यूसुफ इलियास ने कहा कि मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। पीड़ितों की वकील इरफाना हमदानी ने कहा कि अदालत में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए थे, लेकिन न जाने क्यों उन सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया।

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने सबूत होने के बावजूद आरोपी कैसे छूट गए? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे और उनकी टीम ने इस मामले की बारिकी से जांच की थी और सबूत जुटाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत में पेश की गई फाइलों से कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 20 गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं। एटीएस के तत्कालीन प्रमुख केपी रघुवंशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं। जबकि सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने इस केस की पैरवी से यह कहते हुए स्वयं को अलग कर लिया कि उन पर आरोपियों पर नरमी बरतने के लिए राजनीतिक दबाव डाला जा रहा था।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के सभी

आरोपियों को बरी किए जाने पर मुझे बेहद हैरानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मालेगांव बम धमाके का फैसला निराशाजनक है। इस धमाके में छह नमाजी मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया था। ओवैसी ने पूछा कि क्या राज्य और केंद्र सरकार अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करेगी, क्योंकि उन्होंने मुंबई ट्रेन धमाके के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा है कि अदालत का यह फैसला देश की जांच एजेंसियों की विफलता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इन जांच एजेंसियों की भूमिका एकपक्षीय रही है, इसलिए ऐसी एजेंसियों को भंग कर दिया जाना चाहिए।

रोजनामा सहारा (2 अगस्त) के अनुसार कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि मालेगांव बम धमाके के मृतकों को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस धमाके के आरोपियों का बरी हो जाना चिंता की बात है।

कौमी भारत (1 अगस्त) के अनुसार पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से जनता का न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद ने अदालत के इस फैसले को सांप्रदायिकता से प्रभावित बताया है। उन्होंने पूछा कि अगर ये लोग मालेगांव बम धमाके के दोषी नहीं थे तो यह धमाका किन लोगों ने किया था और बेगुनाहों का कातिल कौन है? उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों का संबंध बहुसंख्यक समाज से है, इसलिए उन्हें रिहा किया गया है। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स (आईएमसीआर) ने अदालत के इस फैसले पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा है

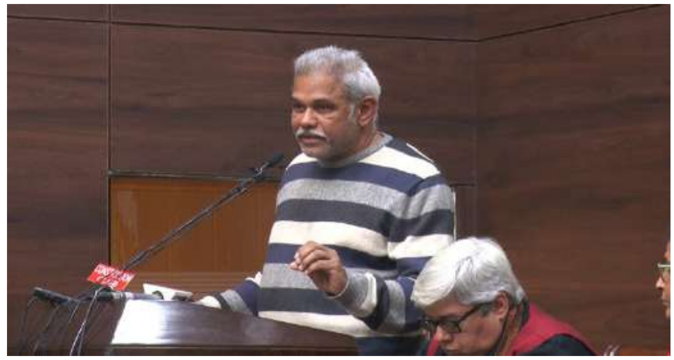

कि इससे मुसलमानों का देश की न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसियों ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर धांधली की है ताकि आरोपी बच जाएं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने ऐसी जांच की थी कि आरोपियों को निश्चित रूप से सजा मिलती, इसलिए उन्हें बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने इस मुकदमे को एनआईए के हवाले कर दिया। एनआईए ने एटीएस द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों पर पानी फेर दिया।

हिंदुस्तान (4 अगस्त) के अनुसार 2007 में हुए समझौता एक्सप्रेस धमाके की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख विकास नारायण राय ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि समझौता एक्सप्रेस समेत देश में होने वाले तमाम धमाकों के पीछे हिंदूवादी संगठनों का हाथ था। राय हरियाणा के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में समझौता एक्सप्रेस बम धमाके में पाकिस्तान और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के हाथ होने का दावा किया गया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। हरियाणा पुलिस की जांच में इस धमाके में हिंदूवादी संगठनों का हाथ पाया गया था, लेकिन इंदौर पुलिस ने हरियाणा पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया। हरियाणा पुलिस ने इस धमाके के पीछे सुनील जोशी और उनके दो साथियों के लिप्त होने का पता लगाया था। बाद में सुनील

का एक कार्यकर्ता जब अपने घर में बम बना रहा था तो उसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में दो लोग मारे गए थे। हालांकि, इस मामले को दबा दिया गया, क्योंकि इससे 'भगवा आतंकवाद' का पर्दाफाश हो जाता।

हिंदुस्तान (2 अगस्त) के अनुसार एनआईए ने मालेगांव बम धमाका केस को जानबूझकर कमजोर किया है। उसने एटीएस द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को अदालत में पेश नहीं किया। समाचारपत्र ने लिखा है कि अदालत ने अपने फैसले में यह माना है कि गवाहों के मूल बयान और कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड से गायब हैं।

जोशी की हत्या कर दी गई ताकि इस मामले का पता ही न चले। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे एक निष्पक्ष और विश्वसनीय पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उनकी जांच पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता।

एक अन्य समाचार के अनुसार एनआईए की विशेष अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष इसका कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है कि सेना ने कर्नल पुरोहित को 'अभिनव भारत' का सदस्य बनने और फंड इकट्ठा करने की अनुमति दी थी।

उर्दू टाइम्स (2 अगस्त) के अनुसार 'भगवा आतंकवाद' को बेनकाब करने हेतु तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने नासिक से लेकर इजरायल के तेल अवीव तक हिंदू आतंकवादियों की गतिविधियों को बेनकाब किया था। वे इस संबंध में विस्फोटक खुलासा करने ही वाले थे। इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशरिफ ने अपनी पुस्तक 'करकरे को किसने मारा?' में इस साजिश की पूरी कहानी बताई है। करकरे ने भगवा आतंकवाद के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का दावा किया था। उर्दू टाइम्स इससे पहले भी यह दावा कर चुका है कि अप्रैल 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड में आरएसएस

उर्दू टाइम्स (3 अगस्त) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि जुलाई 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों के 12 मुस्लिम आरोपियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के कुछ दिनों बाद ही मालेगांव बम धमाके के हिंदू आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। इससे यह महसूस होता है कि मुंबई ट्रेन बम धमाकों के आरोपियों को बरी करने का फैसला मालेगांव बम धमाके के आरोपियों को बचाने के लिए किया गया था ताकि इस मामले में संतुलन बरकरार रखा जा सके।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि आरोपियों ने मालेगांव के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यह धमाका बदले की भावना से किया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया था कि यह बम एक मोटरसाइकिल में लगाया गया था, जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। अदालत ने अपने फैसले में इस दावे को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या उस पर बम लगाया गया था।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे ने इस मामले की गहराई से जांच करने के बाद ही 'अभिनव भारत' नामक हिंदू अतिवादी संगठन के संस्थापक कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स लाकर उससे बम बनाया गया था। बाद में इसे मालेगांव बम धमाके में इस्तेमाल किया गया। समाचारपत्र ने कहा है कि 'अभिनव भारत' समझौता एक्सप्रेस समेत अनेक बम धमाकों में शामिल रहा है। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी के बाद देश में 'भगवा आतंकवाद' की चर्चा शुरू हुई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे 'भगवा आतंकवाद' की संज्ञा दी थी। जबकि भाजपा और संघ परिवार ने कांग्रेस के इस आरोप का खंडन किया था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों के बयान लिए थे। इनमें से 40 गवाह अपने बयान से पलट गए। 2011 में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने एटीएस की जांच में कई त्रुटियां पाई और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप वापस ले लिए, लेकिन यूएपीए की धाराओं को बरकरार रखा।

एटीएस की जांच में यह साबित किया गया था कि जिस मोटरसाइकिल में बम धमाका हुआ वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मकोका के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल पुरोहित के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की थी। इस रिकॉर्डिंग में साध्वी प्रज्ञा की भूमिका का भी उल्लेख था। मालेगांव बम धमाका केस के सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस ने सबसे पहले 2009 और फिर 2011 में विशेष न्यायालय में अपनी चार्जशीट दाखिल की और 14 आरोपियों को नामजद किया। मई 2016 में एनआईए ने एक पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें 11 आरोपियों के नाम थे। इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष करार दिया गया था और उन पर लगाया गया मकोका कानून को हटा लिया गया। चार्जशीट में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा पर हेमंत करकरे के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। साध्वी प्रज्ञा 2019 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ीं और जीत गईं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की दोहरी भूमिका नजर आती है। सरकार ने मुंबई ट्रेन धमाका केस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मालेगांव बम धमाका केस के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। अजीब बात है कि एक ही सरकार एक ही तरह के दो मामले में अलग-अलग पैमाना अपना रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि "एटीएस के उच्चाधिकारियों ने मुझे यह निर्देश दिया था कि मैं इन धमाकों के सिलसिले में संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं। मुझे मालूम था कि यह आरोप निराधार है, इसलिए मैंने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया था। इस पर मुझे सेवा से निलंबित

कर दिया गया था।" उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार 'भगवा आतंकवाद' को स्थापित करने के लिए इस मामले में संघ प्रमुख को जोड़ना चाहती थी। मुजावर ने कहा कि "कोई भगवा आतंकवाद नहीं था। सबकुछ फर्जी था। मुझे वास्तविकता का पता था। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। महबूब मुजावर ने 2016 में भी बड़े खुलासे किए थे। मुजावर ने 19 अगस्त 2016 को सोलापुर की एक अदालत में एक लिखित आवेदन दिया था। इस आवेदन में कहा गया था कि मालेगांव बम धमाके के दो आरोपी रामचंद्र कलसांगरा और संदीप डांगे को फरार बताया गया है। जबकि एटीएस ने उन्हें 28 नवंबर 2008 को ही मार दिया था। मुजावर के बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी ताकि 'भगवा आतंकवाद' का नैरेटिव गढ़ा जा सके।

अखबार-ए-मशरिक (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एनआईए की विशेष अदालत ने 17 साल बाद मालेगांव धमाके का फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी सात आरोपियों को रिहा कर दिया है। अदालत ने कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस की जांच में त्रुटियां पाई गई थीं, इसलिए इस मामले को एनआईए के हवाले किया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में यूएपीए की मंजूरी कानूनी तौर पर त्रुटिपूर्ण है। यह कानून इस मुकदमे पर लागू नहीं होता, क्योंकि इन आरोपियों पर यूएपीए लागू करने की अनुमति सरकार से नहीं ली गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर से कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और न ही घटनास्थल से कोई फिंगर प्रिंट, डंप डेटा या कोई अन्य सबूत इकट्ठा किया गया। इस मामले की मेडिकल रिपोर्टों में भी भारी हेराफेरी की गई और घायलों की संख्या कम बताई गई। अदालत ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसका भी कोई सबूत नहीं मिला कि जिस मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था वह साध्वी की थी।

इसी समाचारपत्र ने 5 अगस्त के संपादकीय में दावा किया है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम करती हैं, इसलिए वे मालेगांव बम धमाके में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाने में विफल रही हैं। आम धारणा यह है कि इस तरह के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव के तहत काम करने पर मजबूर हैं। महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कई मामलों में आरोपी बरी हो रहे हैं तो जांच एजेंसियों से यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है कि वे आरोपियों को अदालतों से सजा दिलवाने में क्यों विफल हो रही हैं? आरोपियों का सजा से बचना एजेंसियों की कार्रवाई पर संदेह खड़ा करता है।

हिंदुस्तान (5 अगस्त) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित होकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर तो मुंबई ट्रेन धमाकों के मुकदमे से बरी हुए मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ जल्दबाजी में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जबकि मालेगांव मामले में सरकार बहानेबाजी कर रही है।

इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हर मामले को हिंदू-मुस्लिम चश्मे से देखने वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार को मालेगांव बम धमाके के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है।

एतेमाद (5 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मालेगांव बम धमाका केस में अदालती फैसले के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं वे जांच एजेंसियों और प्रशासकीय ढांचे पर जनता के विश्वास को खत्म करने के लिए काफी हैं। मालेगांव बम धमाका कोई अकेली घटना नहीं थी। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह, नांदेड और परभनी की मस्जिद में भी इसी तरह के धमाके हुए थे, लेकिन इन मामलों को दबा दिया गया। हालांकि, मालेगांव बम धमाका ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसके पीछे 'अभिनव भारत' का हाथ बताया गया था। उसने यह धमाका मुसलमानों के खिलाफ बदले की भावना के तहत किया था, लेकिन 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस केस का रुख बदलने लगा। न सिर्फ दस्तावेज ही गायब कर दिए गए, बल्कि गवाहों पर भी दबाव डाला गया। विपक्षी पार्टियों ने अदालत के इस फैसले पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मालेगांव केस का फैसला सिर्फ आरोपियों को बरी किए जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जांच एजेंसियों की विफलता का भी सबूत है।

इंकलाब (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मालेगांव बम धमाके को एक

अलग घटना के तौर पर देखा गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे पहले परभनी की मोहम्मदिया मस्जिद पर भी बम फेंका गया था। यह घटना 21 नवंबर 2003 की है। 2004 में महाराष्ट्र के जालना की एक मस्जिद में भी धमाके हुए थे। इसी तरह से नांदेड में बम बनाने के दौरान एक धमाका हुआ था। इन सभी धमाकों को नजरअंदाज कर दिया गया। मालेगांव के भीक्कू चौक में हुए धमाके से पहले वहां की कब्रिस्तान में भी एक धमाका हुआ था। इस सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ने जांच के दौरान नई कड़ियां न ढूंढ निकाली होती तो भीक्कू चौक धमाका मामले में भी यही होता।

सहाफत (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से इस मुकदमे को लंबे समय तक चलाया गया। इस दौरान तीन न्यायाधीश बदले गए। जाहिर है कि इतनी लंबी सुनवाई में गवाहों ने अपने बयान बदल लिए और सबूत गायब हो गए। इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला?

मुंबई ट्रेन बम धमाके के सभी आरोपी बरी होने से मुस्लिम नेता खुश

सहाफत (22 जुलाई) के अनुसार बॉम्बे उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों का फैसला सुनाते हुए 19 साल के बाद सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत के सामने पेश किए गए सबूत आरोपियों के अपराध को साबित

करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सरकारी दावे में कई बुनियादी त्रुटियां हैं। अदालत ने कहा कि गवाहों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में थी। आरोपियों से जबरन पूछताछ करके उनके बयान लिए गए, जो कानूनन मान्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी हैं।

गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों में 187 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। तब मुंबई के उपनगरों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बम धमाके हुए थे। निचली अदालत ने अपने फैसले में पांच आरोपियों को फांसी और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस की जांच का जिम्मा महाराष्ट्र एटीएस को दिया गया था। एटीएस ने अपनी जांच में इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और सिमी का हाथ होने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि इस साजिश का मुख्य आरोपी मोहम्मद फैजल शेख लश्कर-ए-तैयबा (महाराष्ट्र) का प्रमुख था। उसे इन धमाकों के लिए पाकिस्तान से आर्थिक सहायता मिली थी। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस फैसले को महाराष्ट्र एटीएस के लिए जबर्दस्त झटका माना जा रहा है। आरोपियों के वकील युग मोहित चौधरी ने अदालत को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आज के फैसले से न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

इंकलाब (22 जुलाई) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।

सहाफत (25 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने जिन आरोपियों को रिहा किया है उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अपने सांप्रदायिक नजरिए के कारण

उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा आरोपियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ेगी। इसके लिए देश के वरिष्ठ वकीलों की सहायता ली जा रही है।

रोजनामा सहारा (23 जुलाई) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से मांग की है कि झूठे मुकदमों में फंसाकर जिन निर्दोष लोगों का जीवन तबाह किया गया है उन्हें सरकार भरपूर मुआवजा दे।

एतेमाद (22 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस देश की जांच एजेंसियों का रुख मुस्लिम विरोधी है, इसलिए वे मासूम मुस्लिम नौजवानों को झूठे आरोपों में फंसाती हैं ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद की जा सके। उन्होंने मांग की कि इस केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

उर्दू टाइम्स (24 जुलाई) ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि जांच एजेंसियां इन धमाकों के असली दोषियों का पता लगाएं ताकि इन धमाकों में मरने वाले लोगों के परिजनों को न्याय मिल सके।

सियासत (22 जुलाई) ने अपने संपादकीय में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि जांच एजेंसियों का रुख मुस्लिम विरोधी होता है। कानूनी दृष्टि से यह सवाल बेहद महत्त्वपूर्ण है कि जिन लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया था वे अगर बेगुनाह हैं तो इन धमाकों के असली दोषी कौन हैं? जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने और इस केस से संबंधित सच्चाई को उजागर करने में क्यों विफल रही हैं? इससे हमारी जांच एजेंसियों की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी निष्पक्षता खतरे में है। सरकार को चाहिए कि वह इन जांच एजेंसियों की कार्य क्षमता का पुनरीक्षण करे और अक्षम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

अवधनामा (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत के इस फैसले से यह साबित हो गया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। पहली बार किसी केस में मुसलमानों को न्याय मिला है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अदालत के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला न्याय पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई ट्रेन धमाकों में मारे गए मासूम नागरिकों के परिजनों को न्याय नहीं मिला है।

एतेमाद (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में अदालत के इस फैसले को सच और न्याय की जीत करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ कोई वैज्ञानिक प्रमाण पेश करने में विफल रही हैं। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि इन बेगुनाह लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिलेगा।

उनकी जिंदगी तबाह कर देती हैं। मुंबई के ट्रेनों में हुए सीरियल बम बलास्ट का यह फैसला पहली घटना नहीं है। 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले में 33 लोग मारे गए थे और 80 घायल हुए थे। निचली अदालतों ने छह लोगों को दोषी पाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सभी दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया। इसी तरह से 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों के चार आरोपियों को विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया था। समाचारपत्र ने मांग की है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बेगुनाह को झूठे आरोपों में सजा न हो। इसके साथ ही बेगुनाहों को झूठे आरोपों में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

हिंदुस्तान (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने काफी सोच-समझकर मुंबई ट्रेन बम धमाके के आरोपियों को बेगुनाह करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस फैसले के आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक ओर, देश के इंसाफ पसंद लोग अदालत के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और इसे न्यायसंगत बता रहे हैं तो दूसरी ओर, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य की महायुति सरकार ने अदालत के इस फैसले की आलोचना करते हुए अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने फौरन यह घोषणा कर दी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। सरकार के इरादे को भांपते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले पर फौरन स्थगन आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपियों को फिलहाल जेल नहीं भेजा जाएगा।

सहाफत (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों और पुलिस का रवैया मुस्लिम विरोधी है, इसलिए वे मुस्लिम नौजवानों को झूठे आरोपों में फंसाकर

इंकलाब (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस सबूत न हो तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए। जांच एजेंसियां आम तौर पर जनता के दबाव में निर्दोष लोगों को पकड़कर यह दावा करती हैं कि उन्होंने केस को हल कर दिया है। बाद में अधूरी जांच और अपुष्ट गवाहियों के आधार पर निर्दोष लोगों को अदालतों में सजा दिलवाने का प्रयास किया जाता है। यह आरोपियों के साथ अन्याय है और इससे अदालतों का समय बर्बाद होता है। अफसोस की बात है कि जांच एजेंसियां एक विशेष धर्म से संबंधित लोगों को निशाना बनाती हैं।

संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात

औरंगाबाद टाइम्स (25 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और चिंतकों के साथ तीन घंटे तक बैठक की। इस बैठक में संघ के शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त 70 से अधिक मुस्लिम धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी और चिंतक भी शामिल हुए। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, राम लाल और इंद्रेश कुमार समेत आरएसएस के कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। समाचारपत्र के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक में क्या बातचीत हुई है।

गौरतलब है कि इससे पहले मोहन भागवत ने सितंबर 2022 में भी कई मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इस दौरान भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में भी गए थे।

उल्लेखनीय है कि आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम समाज के अन्य प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता रहा है। 2023 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने घोषणा की थी कि 'वह एक राष्ट्र, एक झंडा और एक राष्ट्रगान' के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। सितंबर 2021 में मुस्लिम चिंतकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं, इसलिए देश में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं, बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने 2022 में दिल्ली की दरगाह हजरत निजामुद्दीन का दौरा करके वहां पर चादर चढ़ाई थी और मिट्टी के दीये जलाए थे।

सहाफत (27 जुलाई) के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' ने मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात का स्वागत किया है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत ने मुसलमानों की भावनाओं और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया है। सामना ने कहा है कि कुछ लोग हिंदुत्व की आड़ लेकर समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह कदम सराहनीय है। भारत के हिंदुओं और

मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है, इसलिए इन दोनों संप्रदायों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर यह नाव डूबा तो हम सब डूब जाएंगे। शिवसेना के मुखपत्र ने सवाल किया है कि क्या भाजपा के हिंदूवादी कार्यकर्ता भागवत के इन प्रयासों को स्वीकार कर लेंगे?

रोजनामा सहारा (28 जुलाई) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 24 जुलाई को दिल्ली के हरियाणा भवन में मस्जिदों के इमामों के साथ मोहन भागवत और संघ के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद संघ की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ऑल इंडिया इमाम ऑग्रेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम उमर अहमद इलियासी ने मीडिया को बताया कि बैठक में यह तय हुआ है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपस में संवाद का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब यह गलतफहमी किसको किससे है और क्या है यह उन्होंने नहीं बताया।

लेख में कहा गया है कि संघ की स्थापना का लक्ष्य किसी से ढका-छिपा नहीं है। उसका लक्ष्य देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। संघ की स्थापना हुए 100 साल हो चुके हैं। उसने पिछले 100 सालों में न तो अपने उद्देश्यों को छिपाया है और न ही मुसलमानों के प्रति अपने विचारों पर ही कभी पर्दा डाला है। संघ भले ही सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसकी रगों में राजनीति खून की तरह दौड़ती है। उसके ही प्रयासों से भाजपा सत्ता तक पहुंची है। भाजपा 2014 से केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ है। तब से सेक्युलर और लोकतांत्रिक संविधान के होते हुए भी देश को जिस तरह से हिंदू राष्ट्र में बदला जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। भाजपा की नकेल हमेशा संघ के हाथ में रहती है।

समाचारपत्र ने कहा है कि आजादी के बाद से ही भारतीय मुसलमान विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन 2014 से मुसलमानों के लिए भीषण परीक्षा की शुरुआत हुई है। न तो उनकी जान-माल सुरक्षित है और न ही उनके उपासना स्थल ही सुरक्षित हैं। हर जागरूक देशवासी यह जानता है कि संघ व भाजपा अपने राजनीतिक जरूरतों और 80-20 फॉर्मूले के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत व दुश्मनी की एक ऊंची दीवार खड़ा कर चुके हैं। हिंदुओं की नई पीढ़ी की नजर में मुसलमानों को देशद्रोही और हिंदू दुश्मन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब संघ अपने इस कारनामे को गलतफहमी का नाम देकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है।

लेख में दावा किया गया है कि मोहन भागवत ने 6 सितंबर 2021 को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विख्यात मुस्लिम चिंतक मौलाना कलीम सिद्दीकी, इस्लामिक विद्वान

सैयद अब्दुल्ला तारिक और मुफ्ती अतहर शम्सी को भी आमंत्रित किया गया था। 2022 में ऑल इंडिया इमाम ऑग्रेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी के आमंत्रण पर मोहन भागवत ने उनकी मस्जिद और मदरसे का दौरा किया था। यही नहीं, मुसलमानों की कई महत्त्वपूर्ण हस्तियों ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इनमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति जमीरुद्दीन शाह और विख्यात पत्रकार शाहिद सिद्दीकी शामिल थे। मोहन भागवत से मुलाकात करने वालों में जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का नाम भी शामिल है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि 24 जुलाई 2025 को मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में ऑल इंडिया इमाम ऑग्रेनाइजेशन से संबंधित मस्जिदों के इमामों के साथ बैठक की। इस बैठक पर सबकी नजरें लगी हुई थीं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चुहिया। जो कुछ सामने आया उसमें बस वही घिसी-पीटी बातें थीं और राष्ट्रहित व राष्ट्रवाद का ढोल पीटा गया। सवाल यह है कि संघ हिंदू बुद्धिजीवियों और मंदिरों के पुजारियों के साथ इस तरह के संवाद का कार्यक्रम कब शुरू करने वाला है? संघ मुसलमानों के साथ बैठक करने के बजाय पहले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों का मुंह बंद करे। संघ उन मुस्लिम दुश्मन ताकतों और सरकारों की गिरेबान पकड़े, जो मुसलमानों की जान-माल, इज्जत आबरू के अतिरिक्त उनके उपासना स्थलों, मदरसों, खानकाहों और कब्रिस्तानों को तबाह व बर्बाद करने पर कटिबद्ध हैं। अगर संघ ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मोहन भागवत के मुसलमानों के साथ इस तरह के संवाद का क्या लाभ है?

हकीकत तो यह है कि संघ ने बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में संवाद का नया तमाशा शुरू किया है ताकि भाजपा सरकारों की प्रताड़ना के शिकार मुसलमानों को बरगलाया जा सके। यही कारण है कि संघ ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया है। तभी तो गालिब ने कहा था, "हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला।"

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से मचा बवाल

रोजनामा सहारा (17 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में मुगलकाल की व्याख्या नए ढंग से की है। इस पुस्तक में कहा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। जबकि औरंगजेब ने एक सैन्य शासक के रूप में गैर-इस्लामी रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया और गैर-मुसलमानों पर 'जजिया कर' लगाया। यह पुस्तक इस साल से स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। पुस्तक में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य नीति निर्धारित करने वाला बताया गया है। इस पुस्तक में कहा गया है कि बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। बाबर के बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया। हालांकि, उसे शेर शाह सूरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और वह भागकर ईरान चला गया।

इस पुस्तक में बताया गया है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हिंदू शासक हेमू को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गर्दन काटकर

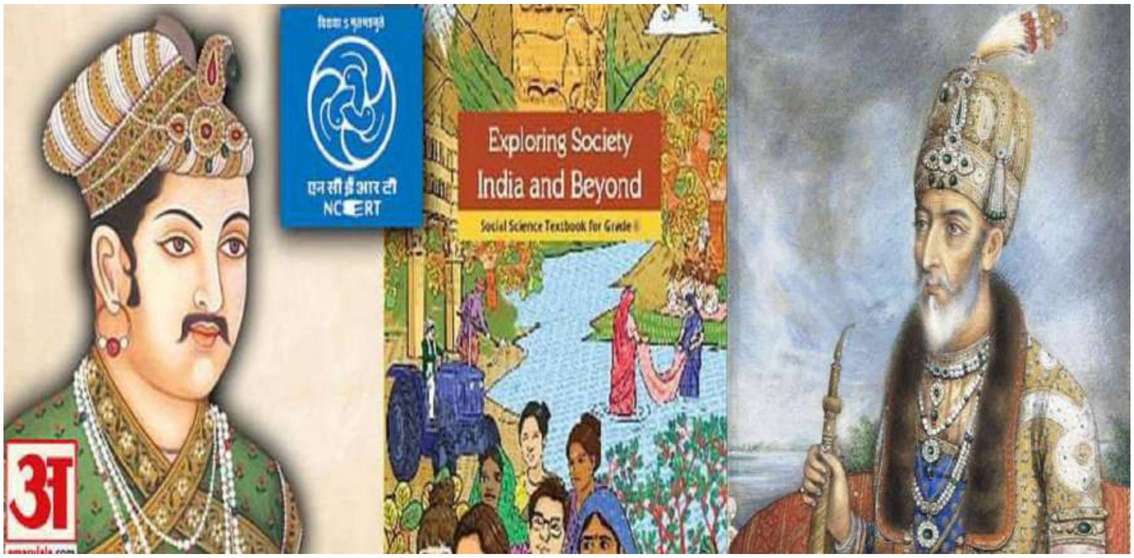

हत्या कर दी। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1568 में अकबर ने चितौड़गढ़ किले पर विजय प्राप्त करने के बाद 30 हजार आम नागरिकों की सामूहिक हत्या करवाई और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाकर बेचा। इसके बाद उसने 'जजिया कर' खत्म कर दिया। राजपूतों को पद दिए और उदार नीति अपनाई। उसने फतेहपुर सिकरी में महाभारत, रामायण, भगवद गीता और पंचतंत्र जैसे हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इस पुस्तक में अकबर के उत्तराधिकारियों जहांगीर व शाहजहां को कला प्रेमी और अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण करने वाला शासक बताया गया है। इस संदर्भ में शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने तीनों भाईयों की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। पुस्तक में औरंगजेब द्वारा बनारस, मथुरा व सोमनाथ में मंदिरों को ध्वस्त करने का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त उसे जैन, सिख और सूफियों के उत्पीड़न का भी दोषी बताया गया है। वहीं, सातवीं कक्षा की इतिहास और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों से मुगलकाल और दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जबकि इस पुस्तक में महाकुंभ, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

अखबार-ए-मशरिक (19 जुलाई) ने कहा है कि एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड' में यह दावा किया गया है कि हमलावर इस्लाम को फैलाने की नीयत से मध्य एशिया से भारत आए और उन्होंने धर्मांतरण के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। उन्होंने गैर-मुसलमानों पर 'जजिया कर' लगाया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम के प्रसार के लिए हिंदुओं के धार्मिक केंद्रों जैसे श्रीरंगम, मदुरै, चिदंबरम और रामेश्वरम के मंदिरों पर हमले किए। इस दौरान हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के मंदिरों को ध्वस्त करने के साथ-साथ उनकी पवित्र मूर्तियों को भी तोड़ा गया ताकि उन्हें जलील किया जा सके और उन पर आर्थिक व सामाजिक दबाव डालकर उन्हें मुसलमान बनाया जा सके।

पुस्तक में 1398 में तैमूर लंग के हमले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस हमले का

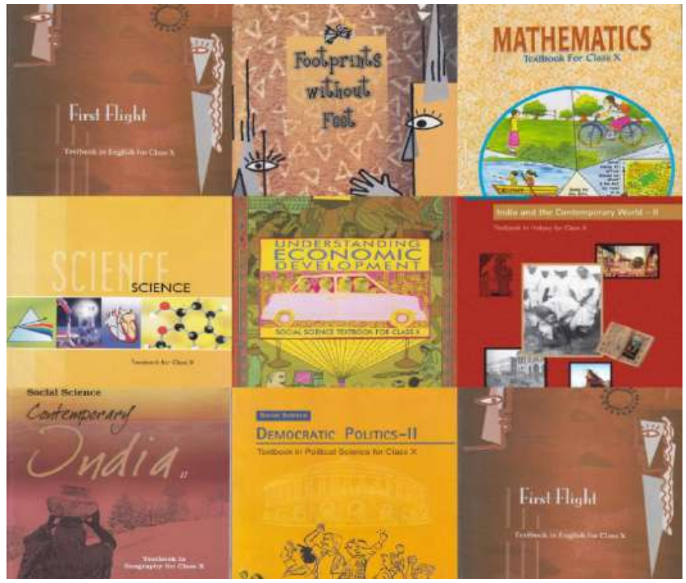

उद्देश्य काफिरों के खिलाफ जिहाद करना, उनकी संपत्ति को लूटना और उन्हें गुलाम बनाना था। दिल्ली स्थित श्यामलाल कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र कुमार मीणा ने कहा है कि इस पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़कर सांप्रदायिक ढंग से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आने वाले हमलावर भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी ने लूटपाट के लिए मंदिरों के साथ-साथ मस्जिदों को भी अपना निशाना बनाया था। मीणा ने तर्क दिया कि 'जजिया कर' वसूलने का लक्ष्य गैर-मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करना था।

रोजनामा सहारा (23 जुलाई) के अनुसार उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अलोचना की है कि इस पुस्तक से उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह के अध्याय को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक पल था, जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। पटनायक ने कहा कि बहादुर पाइकों ने 1817 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने मांग की है कि इस घटना को पाठ्यपुस्तक में फिर से शामिल किया जाए।

रोजनामा सहारा (19 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत देश के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। सरकार बच्चों को इतिहास इस तरह से पढ़ा रही है, जिससे उनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हो। सरकार का यह प्रयास राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। संपादकीय में कहा गया है कि एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने दावा किया है कि इस पुस्तक में दिए गए तथ्य विश्वसनीय और ऐतिहासिक ग्रंथों पर आधारित हैं। इस संदर्भ में उन्होंने 'बाबरनामा', 'बनारस गजेटियर', 'मासिर-ए-आलमगिरी' और 'द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल' का उल्लेख किया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इस पुस्तक में मुस्लिम शासकों को धर्मांध, अत्याचारी और तलवार के बल पर इस्लाम फैलाने वाला बताया गया है ताकि उनके खिलाफ देश की जनता के दिमाग में नफरत भरी जा सके।

इंकलाब (18 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर ऐतिहासिक पुस्तकों की आड़ में नई पीढ़ी के दिमाग में नफरत भर रही है। हाल ही में एनसीईआरटी ने जो नई पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की है उसमें मुगल शासकों को क्रूर और तलवार के बल पर गैर-मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर करने वाला व मंदिरों को ध्वस्त करने वाला बताया गया है। इस पुस्तक में यह भी दावा किया गया है कि जब चितौड़गढ़ किले पर अकबर ने हमला किया तो उसने वहां पर 30 हजार लोगों का कत्लेआम करवाया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

इस पुस्तक में अकबर के संदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उसने कहा था कि "हमने काफिरों के किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया है। खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने उनके दिलों से कुफ्र के सभी चिन्ह मिटा डाले हैं, इसलिए हमने वहां के मंदिरों को भी तबाह कर दिया है।" पुस्तक में कहा गया है कि औरंगजेब ने गैर-मुसलमानों के उपासना स्थलों को तबाह व बर्बाद किया। मूर्तियों को तोड़ा और उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों में गाड़ा ताकि नमाजी इन मूर्तियों को कुचलते हुए नमाज अदा कर सकें।

हिंदुस्तान (26 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार अब पाठ्यपुस्तकों की आड़ में मुस्लिम शासकों को बदनाम करने का अभियान चला रही है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक में यह दावा किया गया है कि बाबर, अकबर और अन्य मुगल शासकों ने मासूम नागरिकों का कत्लेआम करवाया और बच्चों व महिलाओं को भारी संख्या में गुलाम बनाया। उस दौरान मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया और मूर्तियों को खंडित किया गया। इस पुस्तक में औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला शासक बताया गया है। समाचारपत्र ने इस तरह की पुस्तकों को फौरन वापस लेने की मांग की है।

इसी समाचारपत्र ने 25 जुलाई के अंक में आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल कोई सकारात्मक कदम उठाने के बजाय पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के दिमाग में नफरत भर रही है। 2014 से अब तक एक लाख से अधिक स्कूल बंद किए जा चुके हैं। इसके कारण दो करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ गए हैं। सरकार नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रही है। नई शिक्षा नीति की आड़ में आरएसएस हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को देश की नई पीढ़ी पर थोप रहा है। आरएसएस का यह प्रयास घोर निंदनीय और घृणित है।

एतेमाद (22 जुलाई) ने अपने संपादकीय में निंदा करते हुए कहा है कि संघ परिवार अपने राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के इतिहास को ध्वस्त कर रहा है। टीपू सुल्तान को एक खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है और इतिहास की आड़ में देश की नई पीढ़ी के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। संघ परिवार की यह साजिश देशहित में नहीं है और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 जुलाई) ने अपने संपादकीय में भाजपा सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तकों की आड़ में नई पीढ़ी के दिलो-दिमाग में जहर भरने की निंदा करते हुए कहा है कि शासक गिरोह का यह प्रयास राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है।

अखबार-ए-मशरिक (28 जुलाई) ने अपने संपादकीय में पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से देश के इतिहास को सांप्रदायिक मोड़ देने की साजिश की निंदा की है और इसे देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक बताया है।

भारत द्वारा मालदीव को पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज

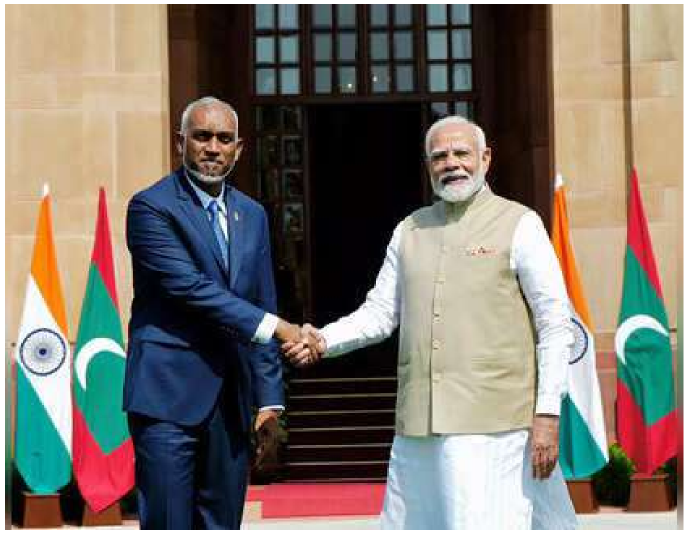

कौमी तंजीम (26 जुलाई) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मालदीव दौरे के दौरान मालदीव के विकास के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग लिया। इसके बाद मोदी ने मुइज्जू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए कटिबद्ध है, इसलिए हमने मालदीव को पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज देने का फैसला किया है। सरकार का यह प्रयास है कि मालदीव के साथ भारतीय करेंसी में व्यापार किया जाए। मोदी ने कहा कि मालदीव में जिस तरह से यूपीआई को विकसित किया जा रहा है उससे पर्यटन को भारी प्रोत्साहन मिलेगा।

रोजनामा सहारा (27 जुलाई) के अनुसार भारत और मालदीव के बीच आठ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, मालदीव संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू ने माले में रक्षा मंत्रालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया। मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मालदीव में एक आम का पौधा भी लगाया। इसके अतिरिक्त भारत ने मालदीव को 72 सैन्य वाहन तोहफे में दिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव का सबसे निकटतम और विश्वासपात्र पड़ोसी है। मालदीव न केवल भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' का अहम हिस्सा है, बल्कि महासागर विजन में भी एक विशेष स्थान रखता है।

रोजनामा सहारा (3 अगस्त) ने मालदीव से संबंधित विशेष सप्लीमेंट प्रकाशित किया है। इसमें भारत और मालदीव की दोस्ती की चर्चा करते हुए कहा गया है कि एक समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि मालदीव दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा और सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर लेगी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। भारत ने इस अवसर पर मालदीव की सहायता की और वहां के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सेना तक भेजी। 1988 में सेना ने मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की तो गयूम ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संपर्क किया और भारतीय सेना ने मालदीव जाकर सैन्य क्रांति के प्रयास को विफल कर दिया। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच के संबंध और भी अधिक मजबूत हो गए। ■

अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारी

कौमी तंजीम (30 जुलाई) के अनुसार गुजरात एटीएस ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से संबंधित 30 वर्षीय आतंकवादी शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। शमा मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। इस महिला के कब्जे से कई उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान के साथ उसके संपर्कों की पुष्टि होती है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि गुजरात एटीएस इस मॉड्यूल से जुड़े चार अन्य आतंकवादियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस सिलसिले में पहली गिरफ्तारी दिल्ली से मोहम्मद फैक की हुई थी। इनसे पूछताछ के बाद शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। शमा इस आतंकवादी गिरोह की सरगना थी।

एतेमाद (13 जुलाई) के अनुसार मोहम्मद फैक को दिल्ली के दरियागंज इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उससे हुई पूछताछ के बाद अहमदाबाद निवासी मोहम्मद फरदीन, गुजरात के मोडासा निवासी सैफुल्ला कुरैशी और नोएडा निवासी जीशान अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 20-25 साल के बीच है। ये सोशल मीडिया के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। ये लोग विदेशी सहायता से देशभर के अनेक स्थानों पर बम धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। इनके कब्जे से काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। ■

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (26 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश पुलिस की गुप्तचर शाखा ने उन्हें उनके धानमंडी स्थित आवास से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बांग्लादेश पुलिस (गुप्तचर शाखा) के संयुक्त आयुक्त नसीरुल इस्लाम ने कहा है कि हक के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील मुजाहिदुल इस्लाम शाहीन ने खैरुल हक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में उन पर भ्रष्टाचार और अदालती फैसलों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद नारायणगंज में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल बारी भुइयां ने हक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। भुइयां ने इस मुकदमे में शिकायत की थी कि 2011 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खैरुल हक ने संविधान के 13वें संशोधन को रद्द करके कार्यवाहक सरकार प्रणाली को खत्म कर दिया था।

गौरतलब है कि खैरुल हक 1 अक्टूबर 2010 से 17 मई 2011 तक बांग्लादेश के 19वें मुख्य न्यायाधीश थे। 10 मई 2011 को उन्होंने अपने एक फैसले में संविधान के 13वें संशोधन को असंवैधानिक करार दिया था। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार भारी संख्या में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार कर रही है। इनमें नेता, आर्थिक विशेषज्ञ, चुनाव आयोग के अधिकारी, नौकरशाह और पुलिस के उच्चाधिकारी शामिल हैं। इनका संबंध अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब तक 500 से अधिक राजनीतिक विरोधियों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार कर चुकी है।

इंकलाब (20 जुलाई) के अनुसार शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने वाले प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने धमकी दी है कि अगर वर्तमान सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो उसके खिलाफ जनांदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जनता से वायदा किया था कि हम पुरानी व्यवस्था को बदल देंगे, लेकिन वर्तमान सरकार इस वायदे को पूरा नहीं कर रही है। खानदानी नेता, माफिया और उनके संरक्षक एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने जनता से किए वायदों को भुला दिया है।

रोजनामा सहारा (18 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी

है। उनके समर्थकों ने हसीना के पैतृक कस्बे और उनकी पार्टी अवामी लीग के गढ़ गोपालगंज से मार्च की शुरुआत की है। बताया जाता है कि हसीना के समर्थकों और वर्तमान सरकार के समर्थकों के बीच जोरदार झड़पें हुई हैं। इन झड़पों के दौरान 20 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाने के लिए वर्तमान सरकार के समर्थकों ने पुलिस मुख्यालय में शरण ली है। बताया जाता है कि सैनिकों ने शेख हसीना के समर्थकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में कम-से-कम 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने एक बयान में कहा है कि गोपालगंज में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने छात्र नेताओं पर जो हमले किए हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने सरकार को धमकी दी है कि अगर गोपालगंज हिंसा के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशभर में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गोपालगंज अवामी लीग का गढ़ माना जाता है। वहां शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 14 लोगों की कब्रें हैं। बांग्लादेश के कुछ सैनिकों ने 1975 में इन लोगों की हत्या कर दी थी।

उर्दू टाइम्स (21 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश में आम चुनाव की चर्चा शुरू होते ही विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में जमात-ए-इस्लामी ने देश में जनसभाओं का सिलसिला शुरू किया है। इसकी शुरुआत ढाका स्थित सुहरावर्दी उद्यान में विशाल जनसभा से हुई है। इस जनसभा की अध्यक्षता जमात-ए-इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान ने की। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी इस्लाम और कुरान के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार को सत्ता में लाने हेतु कटिबद्ध है।

शफीकुर रहमान ने कहा कि पुरानी सेक्युलर और फासीवादी सरकार का खात्मा कर दिया गया है। जब तक इस देश में इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के इशारे पर शेख हसीना की सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और इस्लाम को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया था। इसके तहत जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया था। उन्होंने यूनुस सरकार से अपील की कि शेख हसीना की सरकार ने जमात-ए-इस्लामी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे उन्हें वापस लिया जाए और जेलों में बंद सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए ताकि हम चुनावों में भाग ले सकें। रहमान ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे इस्लाम व कुरान पर आधारित सरकार का गठन करेंगे और देश का प्रशासन शरिया के तहत चलाया जाएगा। हम भ्रष्टाचार और सेक्युलरवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।

उज्बेकिस्तान में इस्लामी खिलाफत की स्थापना की साजिश

चट्टान (23 जुलाई) के अनुसार उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा ने दावा किया है कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस हिंसा के जरिए देश की वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रच रहा था। इस संगठन से जुड़े 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आईएसआईएस खुरासान प्रांत की बागडोर एक 19 वर्षीय युवती के हाथ में थी। इस युवती को तुर्की के इस्तांबुल स्थित इस्लामिक सेंटर में इस्लाम की शिक्षा और उज्बेकिस्तान सरकार का तख्ता पलटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए लोग साइबरस्पेस में जिहादी प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए थे। इसमें युवा, पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। यह गिरोह सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहा था, जिसमें जनता को उज्बेकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाया जा रहा था। इस संगठन द्वारा विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में हथियार भी प्राप्त किए गए थे। सरकारी बयान के अनुसार उज्बेकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी और गृह मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में ऐसी साहित्य बरामद की गई है, जिनमें उज्बेक जनता को इस्लामी खिलाफत की स्थापना करने के लिए भड़काया गया था। सरकार ने इस संगठन की नेता के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि, उसकी एक तस्वीर प्रकाशित की गई है, जिसमें उसका चेहरा छिपाया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा ने दावा किया है कि यह लड़की मूल रूप से उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। 2022 में वह तुर्की गई थी। वहां पर उसने आईएसआईएस द्वारा संचालित एक केंद्र में इस्लाम और छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वह वापस लौट आई। बताया जाता है कि जब उसके पिता ने उसे आईएसआईएस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया तो उसने अपने पिता को 'काफिर' व 'इस्लाम दुश्मन' बताया और कहा कि वह किसी 'काफिर' के घर में रहना नहीं चाहती। इसके बाद उसने अपना पैतृक घर छोड़ दिया। इस युवती ने उज्बेकिस्तान के शहर नामंगन में एक गुप्त सेल का गठन किया। इस सेल में 40 से अधिक लोग शामिल हुए। इस युवती ने 120 से अधिक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बनाए, जिनमें इस्लामिक आतंकवाद और जिहादी सामग्री के साथ-साथ ऑडियो व वीडियो फाइलें भी प्रसारित की गईं।

आईएसआईएस की ओर से गुप्त प्रशिक्षण केंद्रों का भी आयोजन किया गया, जिनमें नौजवानों को 'जिहाद' और 'शहादत' की दावत दी गई। इन प्रशिक्षण शिविरों में युवाओं में शरीयत व इस्लाम के आधार पर उज्बेकिस्तान में सरकार स्थापित करने पर जोर दिया गया और युवाओं को वर्तमान उज्बेकिस्तान सरकार की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक नीतियों के खिलाफ हिंसक रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। गुप्तचर विभाग ने देश के 70 से अधिक स्थानों पर छापे मारे और 37

मोबाइल फोन, 51 धार्मिक पुस्तकें, 40 डीवीडी, चार फ्लैश ड्राइव, एक लैपटॉप और एक टैबलेट बरामद किए। इनमें इस्लामी खिलाफत से संबंधित सामग्री इकट्ठी की गई थीं।

यह भी दावा किया गया है कि इस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग निजी विश्वविद्यालय का संचालन भी कर रहे थे। इस विश्वविद्यालय की पैठ देश की विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी थी। इस विश्वविद्यालय का इस्तेमाल इस्लामिक आतंकवाद के प्रचार व प्रसार के लिए किया जा रहा था। सरकारी सूचना के अनुसार एक दर्जन मौलवियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मौलवी बच्चों को अवैध रूप से इस्लामिक आतंकवाद की शिक्षा दे रहे थे। सरकार ने दावा किया है कि देश के 100 से अधिक मदरसे इन आतंकवादियों के अड्डे बने हुए थे।

बीएलए का पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अभियान

हिंदुस्तान (27 जुलाई) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पिछले एक सप्ताह में 70 से अधिक सैनिकों की हत्या करने का दावा किया है। मरने वालों में कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने दावा किया है कि बीएलए के लड़ाकों ने मस्तुंग, कलात, जमुरान, बुलेदा और क्वेटा में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया है। जबकि नुश्की, दलबंदिन और पंजगुर में भी पाकिस्तानी सेना के शिविरों पर हमले किए गए हैं। सबसे बड़ा हमला 22 जुलाई को कलात के कोहक क्षेत्र में किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के तीन वाहनों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 13 सैनिक मारे गए।

बीएलए के लड़ाकों ने मस्तुंग में एक सैन्य चौकी को आईईडी से निशाना बनाया। इस धमाके में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी इलाके में एक अन्य चौकी पर भी हमला किया गया, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और चार घायल हो गए। बीएलए के लड़ाकों ने एक मुखबिर जमालुद्दीन की भी हत्या कर दी। जमालुद्दीन बलूच लड़ाकों की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी देता था।

उर्दू टाइम्स (18 जुलाई) के अनुसार बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को कराची से क्वेटा ले जाने वाली एक बस पर हमला किया। इस हमले में 29 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं, बलूच लिबरेशन फ्रंट ने भी कलात और झाऊ में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमले किए। इन हमलों में 10 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इन हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि ये हमले 16 जुलाई को किए गए थे।

चट्टान (26 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया है कि आतंकवाद का प्रचार करने के आरोप में 150 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इनका इस्तेमाल बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशियों के इशारे पर आतंकवादी साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ निरंतर प्रचार कर रहे हैं।

अफगानिस्तान में बुर्का न पहनने पर 20 महिलाएं गिरफ्तार

रोजनामा सहारा (22 जुलाई) के अनुसार पुलिस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुर्का या हिजाब न पहनने के आरोप में 20 से अधिक महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये महिलाएं शरिया कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी यह अभियान काबुल तक ही सीमित है और शीघ्र ही अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। मीडिया के अनुसार इन महिलाओं को गिरफ्तार करने वाले पुरुष थे। पुलिस ने इन महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। इन महिलाओं पर इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने का आरोप है। पिछले सप्ताह मध्य काबुल के विभिन्न बाजारों और पार्कों से 150 से अधिक ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने बुर्का व हिजाब नहीं पहन रखा था।

उर्दू टाइम्स (20 जुलाई) के अनुसार तालिबान सरकार ने पहली बार पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन के आरोप में एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने की सजा दी है। यह घटना अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत की है। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि अब्दुल अलीम खामूश नामक एक व्यक्ति को पैंगबर-ए-इस्लाम की तौहीन करने का दोषी पाया गया है। यह व्यक्ति एक स्कूल में अध्यापक था। इस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया है। सरकारी प्रवक्ता सैफुल इस्लाम खैबर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तालिबान सरकार धार्मिक मूल्यों का अपमान करने, इस्लामी समुदाय की आध्यात्मिक एकता को कमजोर करने और शरिया का उल्लंघन करने को एक गंभीर अपराध मानती है। तालिबान सरकार ने पहले इस अध्यापक को सरकारी नीतियों का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसे दो साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उस पर इस्लाम और पैंगबर की तौहीन करने का आरोप लगा दिया गया।

ब्रिटेन सरकार द्वारा अफगानों के पुनर्वास की योजना रद्द

रोजनामा सहारा (17 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में 20 हजार अफगान नागरिकों को शरण देने की योजना को खत्म करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसियों और सेना को गुप्त सूचनाएं देने वाले अफगान नागरिकों को ब्रिटेन में शरण देने का फैसला किया था। इस योजना के तहत 20 हजार ऐसे अफगान नागरिकों की एक सूची बनाई गई थी, जिन्हें अफगानिस्तान से गुप्त रूप से ब्रिटेन लाने का फैसला किया गया था। तत्कालीन सरकार को यह भय था कि तालिबान सरकार इन ब्रिटिश मुखबिरों को सहन नहीं करेगी और उन्हें सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

इस गुप्त योजना के तहत ब्रिटिश सरकार के जासूसों और उनके परिवारों को ब्रिटेन में शरण देने का अभियान शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सात हजार लोगों को अफगानिस्तान से गुप्त रूप से ब्रिटेन लाया गया था। इसी दौरान ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब ब्रिटेन में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने इस योजना को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत जो अफगान नागरिक ब्रिटेन पहुंच चुके हैं सिर्फ उन्हें ही देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी।

कांगो में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा गिरजाघर पर हमला

उर्दू टाइम्स (28 जुलाई) के अनुसार पूर्वी कांगों में इस्लामिक आतंकवादियों ने ईसाइयों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया है। इस सिलसिले में इस्लामिक आतंकवादियों ने एक कैथोलिक गिरजाघर पर हमला किया और प्रार्थना कर रहे 21 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स (एडीएफ) के सशस्त्र हमलावरों ने किया। इस संगठन का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से बताया जाता है। इन आतंकवादियों ने घरों पर भी हमला किया और सैकड़ों मकानों व दुकानों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी। इस हमले में कई लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।

कांगो की सेना के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि गिरजाघर पर हुए हमले में कम-से-कम 21 लोग मारे गए और लगभग 50 घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश की हालत नाजुक बताई जाती है। प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उनकी संख्या लगभग 40 थी। उन्होंने आते ही गिरजाघर को चारों तरफ से घेर लिया और प्रार्थना करने वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। सैन्य प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि एडीएफ एक इस्लामिक संगठन है। यह संगठन कांगो में इस्लामिक शासन की स्थापना के लिए संघर्षशील है। इस संगठन ने हाल ही में इस्लामिक स्टेट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका की स्थापना की घोषणा की थी। प्रवक्ता ने कहा कि पिछले एक दशक से इस क्षेत्र में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। उल्लेखनीय है कि कांगो एक ईसाई देश है।

चार देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा

रोजनामा सहारा (1 अगस्त) के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के बाद अब माल्टा ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यूरोपीय यूनियन में शामिल माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। दूसरी ओर, इजरायल ने कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की निंदा करते हुए कहा है कि यह फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के लिए एक इनाम है। इन देशों की इस घोषणा से युद्धविराम और बंधकों की वापसी की योजना को भारी धक्का लगेगा।

यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रम्प इसे हमास के लिए एक पुरस्कार मानते हैं। इन यूरोपीय देशों को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस सितंबर महीने में फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को सदस्यता देने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा था कि अगर इजरायल ने गाजा की वर्तमान स्थिति को नहीं बदला तो ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। कनाडा ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि वे फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना चाहते हैं। वहीं, सिंगापुर ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने से पश्चिम एशिया में शांति बहाल होने की संभावना बढ़ती है तो सिंगापुर भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है।

उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को संयुक्त राष्ट्र में एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा देने वाला एक प्रस्ताव पारित किया

था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 138 देशों ने मत दिए थे। जबकि विपक्ष में नौ मत पड़े थे। वहीं, 41 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पाने का पात्र है। नियमों के अनुसार अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना चाहता है तो उसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक आवेदन देना पड़ता है। फिर एक कमेटी उस पर विचार करती है। अगर कम-से-कम नौ देश इस आवेदन का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र का कोई स्थाई सदस्य देश इसका विरोध नहीं करता है तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाता है। अगर यहां पर उसे दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाती है। बता दें इस समय अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र के स्थाई सदस्य हैं।

सियासत (26 जुलाई) के अनुसार फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने पर सऊदी अरब ने कहा है कि वह इसका स्वागत करता है और आशा करता है कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हुसैन अल-शेख ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की इस घोषणा का स्वागत किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

औरंगाबाद टाइम्स (31 जुलाई) के अनुसार भारत ने भी परोक्ष रूप से फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देने का समर्थन किया है।

कौमी तंजीम (30 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना हमास के लिए इनाम नहीं है, बल्कि इस फैसले का लक्ष्य गाजा में स्थिति को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि

हमास एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, लेकिन हमारा यह फैसला फिलिस्तीनी जनता और गाजा में भूख से मरने वाले बच्चों की सहायता के लिए है। हम इजरायल सरकार को यह सलाह देना चाहते हैं कि वह फिलिस्तीनी जनता को राहत सामग्री पहुंचाने के मामले में कोई बाधा पैदा न करे।

उर्दू टाइम्स (30 जुलाई) के अनुसार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि गाजा में इजरायली उत्पीड़न के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो मौन धारण कर रखा है, वह शर्मनाक है। अब समय आ गया है कि भारत फिलिस्तीनी जनता की खुलकर मदद करे और फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करे।

उर्दू टाइम्स (1 अगस्त) के अनुसार भारत ने गाजा में जारी युद्ध की समाप्ति और इजरायल-फिलिस्तीन विवाद पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा है कि इस क्षेत्र में जारी संघर्ष को रोकने के लिए दो देशों की मान्यता पर विचार किया जाए और इस विवाद को राजनयिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए। हरीश ने कहा कि 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से था।

उर्दू टाइम्स (27 जुलाई) ने अपने संपादकीय में फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा का स्वागत किया है। समाचारपत्र

ने कहा है कि यह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि फ्रांस का एक वर्ग उनके इस फैसले के खिलाफ सक्रिय हो चुका है। मैक्रों की घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण है। अगर यूरोप ने फिलिस्तीन की आजादी के अधिकार को रद्द किया तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। फ्रांस को चाहिए कि वह इस घोषणा को कार्यान्वित करे।

ईरान में अदालत पर आतंकवादी हमला

उर्दू टाइम्स (27 जुलाई) के अनुसार दक्षिण-पूर्वी ईरान के जाहेदान की एक अदालत पर सशस्त्र आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम-से-कम नौ लोग मारे गए और लगभग 30 लोग घायल हो गए। अल अरेबिया के अनुसार सशस्त्र आतंकवादी न्यायाधीशों के कक्षों में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकवादियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। सिस्तान-बलूचिस्तान के उप पुलिस कमांडर अली रेजा दलिरी ने बताया कि आतंकवादी जाहेदान की अदालत में आम नागरिक के रूप में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। दलिरी ने कहा कि दो आतंकवादियों को तब गोली मारी गई जब वे अदालत परिसर से फरार होने का प्रयास कर रहे थे। वहीं, तीसरा आतंकवादी आत्मघाती हमले में मारा गया। पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने भी इस हमले की पुष्टि की है और मरने वालों की संख्या नौ बताई है।

इस हमले के बाद पूरे प्रदेश में आपतकाल की घोषणा कर दी गई है। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। ईरानी सैनिकों ने अदालत परिसर के चारों ओर अपने टैंक लगा दिए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी 'मेहर' के अनुसार सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैश अल-अदल ने जाहेदान हमले की जिम्मेवारी ली है।

आतंकवादियों ने ईरान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत अजरबैजान के नगर सरदाश्त में स्थित आईआरजीसी की सैन्य चौकी पर भी हमला किया। इस हमले में तीन ईरानी सैनिक मारे गए और पांच घायल हो गए। न्यूज एजेंसी 'मेहर' के अनुसार इस हमले के पीछे भी जैश अल-अदल का हाथ बताया जाता है। आईआरजीसी के प्रवक्ता कर्नल शाकिर ने संदेह व्यक्त किया है कि इस हमले के पीछे कुर्द आतंकवादियों का भी हाथ हो सकता है। कुर्द आतंकवादी इस क्षेत्र में ईरानी सैन्य चौकियों पर पहले भी हमले कर चुके हैं।

इन हमलों के कारण ईरान की आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि देशभर में मोसाद के एजेंटों के खिलाफ अभियान चलाया जा

रहा है। अब तक इस सिलसिले में 700 से अधिक लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें बलूच, अफगान, कुर्द और कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जाहेदान और सरदाश्त पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान से सटे हुए हैं और इन क्षेत्रों में बलूच लड़ाके भी सक्रिय हैं।

उल्लेखनीय है कि ईरान पाकिस्तान पर यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान में हमला करने वाले आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने यह दावा किया था कि ईरान के मकरान डिवीजन में पृथकतावादी बलूच संगठनों के ठिकाने मौजूद हैं। इससे पहले ईरान और पाकिस्तान की सेना आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की आड़ में एक दूसरे देश की सीमा में मिसाइल और हवाई हमले कर चुकी हैं। ईरान के दिवंगत विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने यह आरोप लगाया था कि सुन्नी आतंकवादी संगठन जैश अल-अदल ने पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में अपने ठिकाने बना रखे हैं। वहां से वे ईरान पर हमला करते हैं।

गौरतलब है कि ईरान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बलूच कबीले से संबंधित लोग आबाद हैं और वे पिछले कई दशक से आजाद बलूचिस्तान के निर्माण के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अनवर साजिदी ने दावा किया है कि जैश अल-अदल 1970 से सक्रिय है। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने 1971 में इस आतंकवादी संगठन के उन्मूलन के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया था। बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से अधिक की सीमा है। बलूच ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान, सरावान और चाबहार इलाके में काफी संख्या में रहते हैं। पाकिस्तान के चगाई, वाशुक, पंजगुर, केच और ग्वादर जिले ईरान की सीमा से लगे हुए हैं। जैश अल-अदल के ठिकाने इन्हीं क्षेत्रों में बताए जाते हैं। जैश अल-अदल सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। यह ईरान की शिया सरकार के खिलाफ सक्रिय है।

सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्धविराम की घोषणा

अमेरिका के प्रयास से सीरियाई सरकार, बेडोइन जनजातियों और द्रूज लड़ाकों के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है। पिछले दो सप्ताह से बेडोइन जनजातियों और द्रूज लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वास्तव में शिया-सुन्नी संघर्ष था। इस संघर्ष में कम-से-कम 400 लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए।

इंकलाब (18 जुलाई) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की है कि सीरिया में दोनों पक्षों ने युद्धविराम करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब सुन्नी बेडौइन जनजातियों ने एक द्रूज व्यापारी का अपहरण कर लिया था। यह व्यापारी सीरिया की राजधानी दमिश्क जा रहा था।

गौरतलब है कि द्रूज लड़ाके अपदस्थ शिया राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि वे द्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। द्रूज शिया संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जबकि बेडौइन सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं। रविवार को बेडौइन जनजातियों और द्रूज लड़ाकों के बीच झड़पें सुवेदा शहर के अल-मकवास इलाके से शुरू हुईं। कहा जाता है कि बेडौइन बहुल इस इलाके पर द्रूज लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। सीरियाई गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि युद्ध की स्थिति गंभीर है। इससे पहले मई महीने में दमिश्क और सुवेदा में शिया लड़ाकों और सुन्नी सरकारी सैनिकों के बीच हुई झड़पों में लगभग 150 लोग मारे गए थे।

बताया जाता है कि इजरायल ने द्रूज लड़ाकों को बचाने के लिए सीरिया की सेना पर हमले किए थे। इजरायल ने दावा किया था कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा आतंकवादी हैं और वह सीरियाई सेना को इजरायली सीमा के नजदीक मोर्चे बनाने की अनुमति नहीं देगा। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने दावा किया कि हाल ही में इस क्षेत्र में इजरायल की गलतफहमी के कारण हिंसा भड़की है। इजरायल को यह महसूस हुआ था कि सीरियाई सेना उसकी सीमा के समीप मोर्चे बना रही है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका सीरिया और इजरायल के बीच तनाव को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गोलान हाइट्स को असैन्य क्षेत्र के रूप में बरकरार रखा जाएगा और उस पर किसी भी सेना को कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर सीरिया सरकार इस क्षेत्र पर कब्जा करती है तो हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे।

सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आरोप लगाया है कि इजरायल सीरियाई नागरिकों के विभिन्न वर्गों में मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहा है और वह सीरिया की राष्ट्रीय एकता को खंड़ित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि द्रूज सीरिया के अभिन्न अंग हैं और उनके हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम किसी भी विदेशी शक्ति को हमारी आंतरिक समस्याओं का अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे।

इंकलाब (27 जुलाई) के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने सीरिया में बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सीरिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में देखते हुए तुर्की को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। तुर्की का लक्ष्य सीरिया का नवनिर्माण करना और उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने बेडौइन जनजातियों और द्रूज लड़ाकों से आग्रह किया है कि वे नस्लवाद या धार्मिक पहचान के संरक्षण की आड़ में सीरिया की एकता को खतरे में न डालें।

सऊदी अरब द्वारा सीरिया में पूंजी निवेश

कौमी भारत (26 जुलाई) के अनुसार सऊदी सरकार ने सीरिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 6.4 बिलियन डॉलर के पूंजी निवेश से संबंधित विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले सऊदी अरब और कतर ने विश्व बैंक को सीरिया का 15 मिलियन डॉलर का बकाया ऋण चुकाया था। सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह ने कहा कि अब तक इस संबंध में 47 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनका मूल्य 24 अरब सऊदी रियाल (लगभग 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इन समझौतों के तहत सीरिया में संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर 1.07 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2.93 बिलियन डॉलर के समझौतों की भी घोषणा की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सऊदी अरब के व्यवसायी भी सीरिया में पूंजी निवेश करने में रुचि लेंगे।

सियासत (25 जुलाई) के अनुसार खालिद अल-फलीह ने 'अल अरेबिया' को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब पूंजी निवेश करके सीरिया के भविष्य पर दांव लगा रहा है। सीरिया में फौरन सीमेंट बनाने के चार बड़े प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें दमिश्क के नजदीक सफेद सीमेंट बनाने का एक विशाल प्लांट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान सीरिया के पुनर्निर्माण में विशेष रुचि ले रहे हैं। सऊदी आर्थिक विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही दमिश्क का दौरा करेगा ताकि सीरिया में और अधिक पूंजी निवेश की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या की साजिश

उर्दू टाइम्स (25 जुलाई) के अनुसार इजरायली सुरक्षा एजेंसी 'शिन बेट' ने एक 70 वर्षीय महिला को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस महिला ने आत्मघाती हमला करके बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की योजना बनाई थी। इस महिला के खिलाफ हत्या करने का प्रयास और आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस महिला को दो सप्ताह पहले भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया था। इन शर्तों में उसे सभी सरकारी संस्थानों में प्रवेश करने और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नजदीक जाने से प्रतिबंधित किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह महिला जानी-मानी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी है।

दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति को उनके नजदीक जाने की

अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस महिला ने आईईडी द्वारा नेतन्याहू की हत्या की योजना बनाई थी। सरकारी वकील ने दावा किया है कि इस महिला से पूछताछ की जा रही है और उसके गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अज्ञात स्थानों पर पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले साल भी नेतन्याहू पर दो बार जानलेवा हमला करने का असफल प्रयास किया गया था। हमलावरों ने नेतन्याहू के आवास पर दो मिसाइल दागे थे, जो उनके घर के आंगन में गिरे थे। हमले के समय नेतन्याहू या उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। इससे पहले हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर आत्मघाती हमला किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि पिछले सप्ताह हमास ने नेतन्याहू की हत्या करने का दो बार प्रयास किया था। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इस महिला के तार ईरान की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इजरायल में ईरानी एजेंटों का पता लगाने में लगी हुई हैं। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

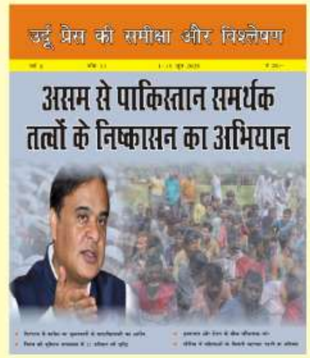

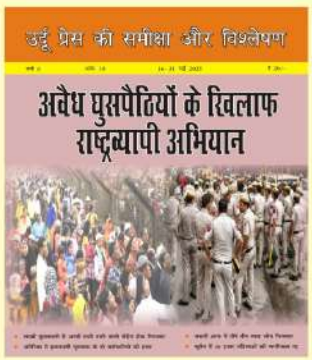

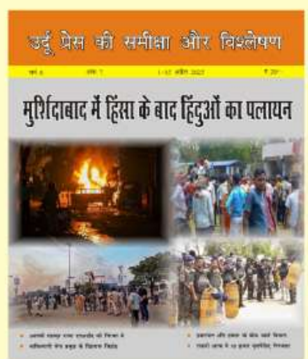

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in